DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

30 August, 2024

धन शोधन निवारण अधिनियम

संदर्भ: *हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत सामान्य स्थिति में होनी चाहिए और कारावास अपवाद की स्थिति में होना चाहिए।*

➢ **उद्देश्य :**

- **रोकथाम** : कड़े उपायों और निगरानी के माध्यम से धन शोधन को रोकना।
- **पता लगाना** : धन शोधन के मामलों का पता लगाना और जांच करना।
- **जब्ती** : अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने और बाधित करने के लिए धन शोधन में शामिल संपत्ति को जब्त करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाना।

➢ **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**

- **संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988):** इसके द्वारा देशों से मादक पदार्थ अपराध से अर्जित आय के शोधन को रोकने पर बल दिया गया।
- **एफएटीएफ की स्थापना** : पीएमएलए, भारत द्वारा अपनाए गए धन शोधन से निपटने के लिए एक अनुशंसित उपाय है।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव:** इसके द्वारा मादक पदार्थों से संबंधित धन शोधन को रोकने के लिए कानून बनाने को प्रोत्साहित किया गया।
- **संयुक्त राष्ट्र विशेष सत्र (2000):** इसके द्वारा धन शोधन से निपटने का आग्रह किया गया।
- **पलेर्मो कन्वेंशन (2000):** इसमें अपराध से प्राप्त धन शोधन को अपराध घोषित करने का आह्वान किया गया।
- **पीएमएलए अधिनियम:** इसे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत कार्यान्वित किया गया।

➢ **मुख्य विशेषताएं:**

- **परिभाषा (धारा 3):** धन शोधन में अपराध की आय को बेदाग दिखाने के किसी भी प्रयास को शामिल किया गया है।
- **पीएमएलए के अंतर्गत अपराध:**
  - **भाग ए:** इसमें आईपीसी, नारकोटिक्स अधिनियम आदि जैसे विभिन्न अधिनियमों के तहत अपराध शामिल हैं।
  - **भाग बी:** इसमें 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के गंभीर अपराध शामिल हैं।
  - **भाग सी:** यह सीमापार अपराध से संबंधित धन शोधन को शामिल करता है।
- **सजा (धारा 4):** इसमें तीन से सात वर्ष तक कारावास और जुर्माना का प्रावधान है।
- **एजेंसी शक्तियां:**
  - **प्रवर्तन निदेशालय (ईडी):** यह धन शोधन और संपत्ति कुर्की की जांच करता है।
  - **वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी):** यह वित्तीय लेनदेन डेटा का प्रसंस्करण और विश्लेषण करता है।
  - **अन्य एजेंसियां:** स्थानीय पुलिस, सीबीआई, सीमा शुल्क, सेबी अनुसूचित अपराधों की जांच करती हैं।
- **दायित्व** : बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्राहक लेनदेन को सत्यापित करना और रिपोर्ट करना होगा।
- **प्राधिकरण:**
  - **न्यायनिर्णयन प्राधिकरण:** यह अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को संभालता है।
  - **अपीलीय न्यायाधिकरण:** यह न्याय निर्णयन प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनता है।
- **विशेष न्यायालय:** पीएमएलए अपराधों के लिए नामित सत्र न्यायालय।

➢ **सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां:**

- **सख्त ज़मानत शर्तें:**
  - **निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ (2018):** अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने के कारण सख्त ज़मानत शर्त को असंवैधानिक घोषित किया गया।
  - **विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022):** इस वाद में सख्त जमानत प्रावधान को उचित और पीएमएलए के उद्देश्यों के अनुरूप माना।
- **ईडी का हस्तक्षेप:**
  - **पंकज बंसल बनाम भारत संघ:** इस वाद में ED की विसंगतियों को उजागर किया गया और निष्पक्षता की मांग की गई।
- **प्रक्रियागत उल्लंघन:**
  - **पवन डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2023):** इसमें प्रक्रियात्मक उल्लंघन और दुरुपयोग पर ध्यान दिया गया, कानूनी मानकों के पालन पर जोर दिया गया।

विमुक्त जनजातियाँ

संदर्भ *: महाराष्ट्र में धनगर नामक एक विमुक्त और खानाबदोश जनजाति, अपने प्रवास क्षेत्र में 'चारागाह गलियारे' की मांग को लेकर राज्य सरकार के साथ टकराव में है।*

➢ **डीएनटी कौन हैं?**

- **परिभाषा** : विमुक्त जनजातियाँ (डीएनटी) वे समुदाय हैं जिन्हें पहले ब्रिटिश राज (1871-1947) द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियमों के तहत वर्गीकृत किया गया था और जिन्हें बाद में 1952 में विमुक्त कर दिया गया।
- **खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश:** कुछ डीएनटी खानाबदोश थे, जो अपनी आजीविका के लिए मौसमी रूप से घूमते थे। "अर्ध-खानाबदोश" उन लोगों को कहते हैं जो कम बार या कम समय के लिए घूमते थे।
- **जनसंख्या** : यह दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी खानाबदोश आबादी है, भारत की लगभग 10% आबादी विमुक्त और खानाबदोश है।
- **ऐतिहासिक वर्गीकरण:** प्रारंभ में 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत 'जन्मजात अपराधी' के रूप में चिह्नित डीएनटी को 1952 में विमुक्त कर दिया गया था, लेकिन आदतन अपराधी अधिनियम ने उन्हें प्रभावित करना जारी रखा।
- **राष्ट्रीय आयोग:** 2003 में स्थापित और 2005 में पुनर्गठित एनसीडीएनटी ने 2001 की जनगणना के आधार पर डीएनटी आबादी का अनुमान 10.74 करोड़ लगाया था। 2014 के आयोग ने 1,262 ऐसे समुदायों की पहचान की।

➢ **भारत में डीएनटी की स्थिति**

- **जनसंख्या** : 1,400 से अधिक समुदायों के 10 करोड़ से अधिक भारतीय विमुक्त, खानाबदोश या अर्ध-खानाबदोश हैं।
- **राष्ट्रीय आयोग:** 2014 में, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीडीएनटी) की स्थापना तीन वर्षों के लिए की गई थी,जिसकी निम्न अनुशंसा थी -
  - जातियों की राज्यवार सूची तैयार करें।
  - केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा इन जनजातियों के लिए सुझाये गए उपाय को लागू करे।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

- **पिछला आयोग:** एनसीडीएनटी/रेनके आयोग (2008) को पहले डीएनटी समुदायों की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध करने का काम सौंपा गया था।

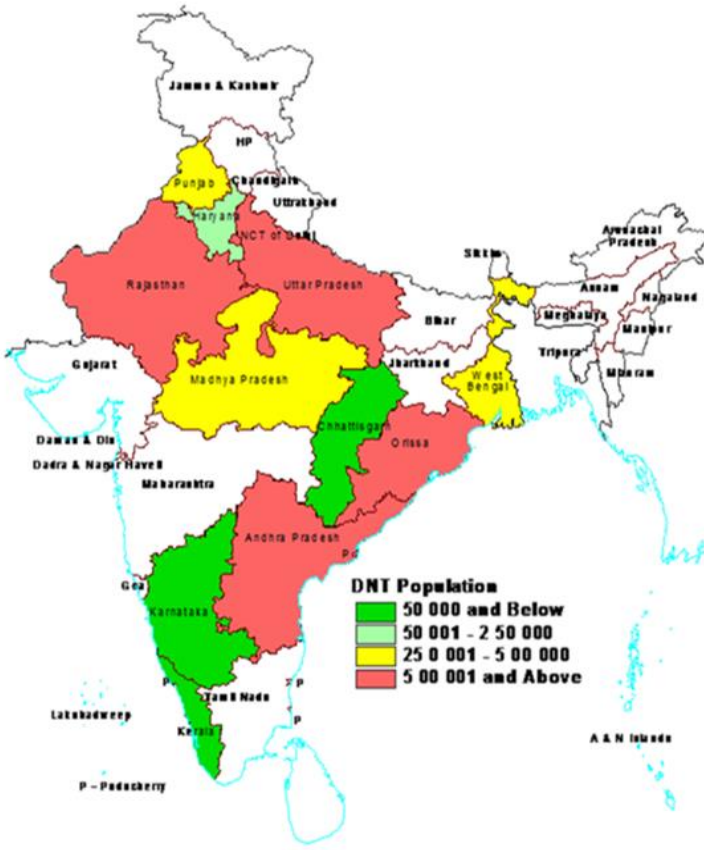

➢ विमुक्त जनजातियों के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड

- **सिफारिश** : इदाते आयोग ने डीएनटी के लिए एक स्थायी आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी।
- **वर्तमान संरचना:** सरकार ने कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 2019 में बीआर इदाते की अध्यक्षता में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) के लिए विकास और कल्याण बोर्ड की स्थापना की थी।

➢ SEED (डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना)

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा फरवरी 2022 में पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) में ₹200 करोड़ के आवंटन के साथ इस योजना को प्रारंभ किया गया था।
- **अवयव** :
  - **शैक्षिक सशक्तिकरण:** डीएनटी उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग कराना।
  - **स्वास्थ्य** : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा करना।
  - **आजीविका** : राष्ट्रीय और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम और एसआरएलएम) के माध्यम से सहायता देना।
  - **भूमि और आवास:** पीएम आवास योजना के माध्यम से आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देना।
- **कार्यान्वयन** : इसे डीडब्ल्यूबीडीएनसी द्वारा प्रबंधित किया गया है।
- **पात्रता** : ऐसे डीएनटी समुदाय जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है और जो अन्य केंद्रीय/राज्य योजनाओं से लाभान्वित नहीं हैं वह इसमें शामिल होंगे।

➢ विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना किये जाने वाले अभाव का इतिहास

- **उल्लेखनीय आयोग:**
  - आपराधिक जनजाति जांच समिति (1947)
  - अनंतशयनम अय्यंगार समिति (1949)
  - काका कालेलकर आयोग (1953)
  - बीएन लोकुर की सलाहकार समिति (1965)
  - बी.पी. मंडल आयोग (1980)
  - संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2002)
- **सामना की गई समस्याएं:**
  - सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए होना
  - निम्न मानव विकास सूचकांक और उच्च सापेक्ष वंचना का होना
  - नियोजित विकास लाभों से अत्यंत कमी
  - सशक्तिकरण का अभाव और सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाना
- **राजनीतिक और नेतृत्व संबंधी मुद्दे:** सीमित राजनीतिक भागीदारी, मुखर नेतृत्व का अभाव, और राष्ट्रीय नेता के संरक्षण का अभाव होना।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात

संदर्भ: *हाल ही में आईएमडी के अनुसार, गुजरात में भारी बारिश लाने वाला गहरा दबाव 30 अगस्त को अरब सागर के ऊपर एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में तब्दील हो सकता है।*

➢ उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे बनता है:

- **गठन स्थान:** इसका गठन भूमध्य रेखा के पास गर्म महासागरीय जल पर होता है।
- **प्रारंभिक प्रक्रिया:** गर्म, नम हवा समुद्र की सतह से ऊपर उठती है, जिससे कम दबाव का क्षेत्र बनता है।
- **वायु की गति:** आसपास की उच्च दाब वाली वायु, निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है और गर्म होकर ऊपर उठती है।
- **बादलों का निर्माण:** ऊपर उठती हवा ठंडी हो जाती है, जिससे जलवाष्प बादलों का निर्माण करती है।
- **प्रणाली विकास:** बादलों और हवा की प्रणाली समुद्री गर्मी से प्रेरित होकर घूमती और बढ़ती है।
- **चक्रवात का निर्माण:** जैसे-जैसे हवा का घूर्णन बढ़ता है, केंद्र में एक आँख बनती है।

➢ उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएँ:

- **शांत केंद्र:** चक्रवात का केंद्र शांत और साफ है तथा हवा का दबाव बहुत कम है।
- **गति** : औसत हवा की गति 120 किमी/घंटा है।
- **आइसोबार** : बंद आइसोबार की विशेषता, जिससे हवा का वेग अधिक होता है। (आइसोबार मौसम मानचित्र पर समान दबाव वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं हैं।)
- **स्थान** :यह महासागरों और समुद्रों पर विकसित होता है।
- **गति** : यह व्यापारिक हवाओं के अंतर्गत पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है।
- **मौसमी** :यह मौसमी रूप से घटित होता है।

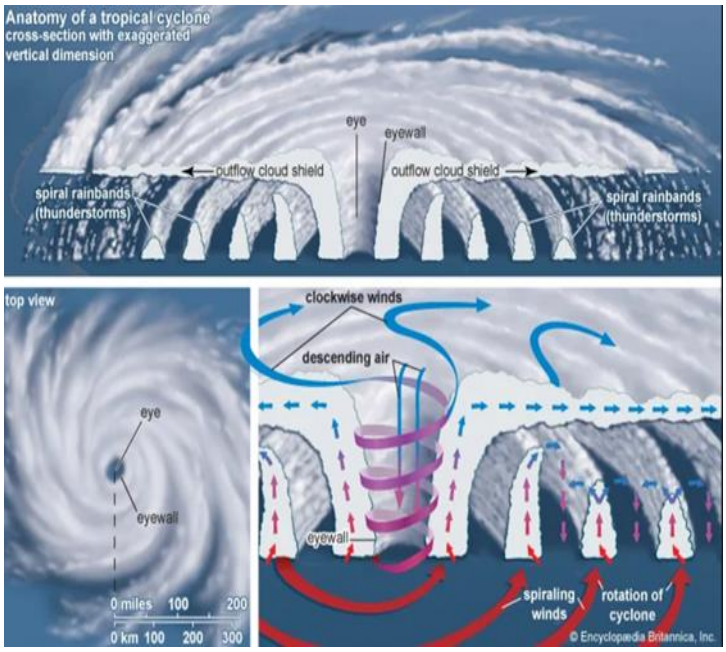

➢ **चक्रवात वर्गीकरण:**

- **अवदाब** : हवा की गति 31-49 किमी/घंटा।
- **गहरा अवदाब:** हवा की गति 50-61 किमी/घंटा।
- **चक्रवाती तूफान:** हवा की गति 62-88 किमी/घंटा।
- **गंभीर चक्रवाती तूफान:** हवा की गति 89-117 किमी/घंटा।
- **बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान:** हवा की गति 118-166 किमी/घंटा।
- **अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान:** हवा की गति 166-221 किमी/घंटा।
- **सुपर चक्रवाती तूफान:** हवा की गति 222 किमी/घंटा से अधिक।

➢ **चक्रवात नामकरण:**

- **क्षेत्रीय निकाय:** उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए पांच क्षेत्रीय निकाय हैं:
  - ESCAP/WMO टाइफून समिति
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO/ESCAP पैनल
  - आरए I उष्णकटिबंधीय चक्रवात समिति
  - आरए IV तूफान समिति
  - आरए वी ट्रॉपिकल साइक्लोन समिति
- **हिंद महासागर नामकरण:** उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO/ESCAP पैनल हिंद महासागर में चक्रवातों का नामकरण करता है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

शी-बॉक्स पोर्टल

हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में शी-बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है।

शी-बॉक्स पोर्टल के बारे में:

- शी-बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच है।
- यह शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति को ट्रैक करने और आंतरिक समितियों द्वारा समयबद्ध प्रसंस्करण सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान करता है।
- व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक किए बिना सुरक्षित रूप से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।
- इस पहल का उद्देश्य देश में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक समावेशी कार्य वातावरण बनाना है।
- शी-बॉक्स पोर्टल और मंत्रालय की नई वेबसाइट shebox.wcd.gov.in और wcd.gov.in पर देखी जा सकती है।

प्रशांत द्वीप समूह फोरम

हाल ही में, भारत ने प्रशांत भागीदार देशों और प्रशांत द्वीप समूह फोरम (PIF) के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

प्रशांत द्वीप समूह फोरम के बारे में:

- प्रशांत द्वीप समूह फोरम (PIF) की स्थापना 1971 में प्रशांत देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में की गई थी।
- इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, फिजी, पापुआ न्यू गिनी और यूरोपीय संघ के कई अन्य सदस्यों सहित 18 सदस्य देश शामिल हैं।
- फोरम का उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में शांति, सद्भाव, सुरक्षा, सामाजिक समावेश और समृद्धि को बढ़ावा देना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रशांत लोग स्वतंत्र, स्वस्थ और उत्पादक जीवन जी सकें।
- यह प्रशांत क्षेत्रवाद के ढांचे के तहत काम करता है, जो इसके रणनीतिक दृष्टिकोण और उद्देश्यों को रेखांकित करता है, जो फोरम के काम और प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन करता है।
- फोरम का निर्देशन महासचिव द्वारा किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के लिए लाभकारी नीतियों पर चर्चा करने और सहमत होने के लिए इसके सदस्य देशों के नेताओं के बीच वार्षिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- यह वैश्विक जलवायु कार्रवाई की वकालत करता है और प्रशांत लचीलापन सुविधा (PRF) के माध्यम से कमजोर प्रशांत देशों का समर्थन करने के लिए लचीलापन प्रयासों को निधि देता है।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

30 August, 2024

आईएनएस अरिघाट

'आईएनएस अरिघाट' पनडुब्बी को 29 अगस्त, 2024 को विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

आईएनएस अरिघाट के बारे में:

- भारतीय नौसेना का जहाज अरिघाट दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी है।
- यह भारत के परमाणु त्रिकोण को मजबूत करता है, क्षेत्र में इसकी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और रणनीतिक संतुलन को बढ़ाता है।
- इस पनडुब्बी में भारतीय वैज्ञानिकों, उद्योग और नौसेना कर्मियों द्वारा विकसित स्वदेशी प्रणालियाँ और उपकरण हैं, जो रक्षा में भारत के 'आत्मनिर्भरता' के प्रयास को दर्शाता है।
- यह उन्नत डिजाइन, विनिर्माण प्रौद्योगिकी और विशेष सामग्रियों के उपयोग के कारण अपने पूर्ववर्ती आईएनएस अरिहंत से अधिक उन्नत है।
- इसके निर्माण में उन्नत डिजाइन और विनिर्माण प्रौद्योगिकी, विस्तृत अनुसंधान और विकास, विशेष सामग्रियों का उपयोग, जटिल इंजीनियरिंग और अत्यधिक कुशल कारीगरी का उपयोग शामिल था।

लिस्टेरिया

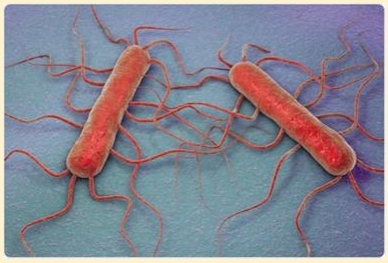

हाल ही में, अमेरिका में लिस्टेरिया प्रकोप के कारण 50 से अधिक बीमारियाँ और नौ मौतें रिपोर्ट की गई हैं।

लिस्टेरिया के बारे में:

- लिस्टेरिया (लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स) एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो आमतौर पर मिट्टी, वनस्पति, पानी, सीवेज और जानवरों और मनुष्यों के मल में पाया जाता है।
- लिस्टेरिया से दूषित भोजन का सेवन करने से लिस्टेरियोसिस नामक संक्रमण हो सकता है।
- लिस्टेरिया-दूषित भोजन का सेवन करने वाले अधिकांश व्यक्ति बीमार नहीं होते या उनमें लक्षण नहीं दिखते।
- बैक्टीरिया संक्रमित व्यक्ति के सिस्टम में लक्षण दिखने से पहले दो महीने तक रह सकता है, जिससे संक्रमण को विशिष्ट भोजन के सेवन से जोड़ना मुश्किल हो जाता है।
- लिस्टेरियोसिस के लक्षणों में उल्टी, मतली, पेट में ऐंठन, गंभीर सिरदर्द, कब्ज और बुखार शामिल हो सकते हैं।
- कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएँ और 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग लोग लिस्टेरियोसिस के लिए विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं।

POINTS TO PONDER

- हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? – **राजगीर**
- हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ट्रांसएशिया डायग्नोस्टिक्स के सहयोग से विकसित देश की पहली स्वदेशी मंकीपॉक्स आरटी-पीसीआर किट लॉन्च की है? – **आंध्र प्रदेश**
- केरल में किस मछली पकड़ने वाले बंदरगाह के निर्माण के तीसरे चरण का उद्घाटन आज (30 अगस्त, 2024) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाएगा? – **अर्थुंकल**
- उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने कल 29 अगस्त 2024 को "ऑपरेशन भेड़िया" के तहत सबसे क्रूर भेड़िये को सफलतापूर्वक पकड़ा? – **बहराइच**
- नेपाल की किस नगरपालिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने नेपाल का पहला 'स्वस्थ शहर' और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? – **धुलीखेल**

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com